उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा-
गांधी मार्ग, पर दिनांक 21-11-84 को 10=30
बजे पूर्वाह्न में हुई उ0प्र0आवास एवं विकास-
परिषद की वर्ष-1984 की षष्ठम बैठक का कार्यवृत्त

निम्नलिखित उपस्थित थे :-

1-	श्रीमती दीपा कौल		अध्यक्ष (सर्वसम्मति से नामित)
2-	श्री राम पाल सिंह		सदस्य
3-	श्री नौनिहाल सिंह		सदस्य
4-	श्रीमती मंजुलिका गौतम	विशेष सचिव, आवास (आवास सचिव की प्रतिनिधि)	सदस्या
5-	श्री प्रेम नारायण	संयुक्त सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
6-	श्री जे0पी0दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य
7-	श्री बाबू राम	प्रशासक नगर महापालिका, लखनऊ ।	सदस्य
8-	श्री शम्भु नाथ	आवास आयुक्त	सदस्य

श्री निर्मल खत्री, अध्यक्ष आवास एवं विकास परिषद की अनुपस्थिति में सर्वसम्मति से श्रीमती दीपा कौल, सदस्या को उक्त बैठक के लिये अध्यक्ष चुना गया और उन्हीं की अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई ।

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्न मदों पर निर्णय लिये गये:-

क्र0सं0	विषय	संकल्प सं0	निर्णय
1	2	3	4
1-	दिनांक 29-9-84 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि	षष्ठम/(1)/84	परिषद की दिनांक 29-9-84 को हुई बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी
2-	परिषद की बैठक दिनांक 29-9-84 की अनुपालन आख्या ।	षष्ठम/(2)/84	परिषद द्वारा दिनांक 29-9-84 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित आख्या की विस्तृत समीक्षा की गयी तथा सर्व-सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :- बैठक में बताया गया कि मुरादाबाद में पुलिस कर्मियों द्वारा किया गया अनाधिकृत अध्यासन समाप्त हो गया है। अलीगढ़ में पुलिस कर्मियों ने अभी हाल में ही कुछ आवास गृहों को खाली कर दिया है किन्तु शेष अब भी उन्हीं के कब्जे में हैं ~~किन्तु शेष~~ यह भी बताया गया कि अना-धिकृत अध्यासन के अवधि के किराये के बारे में शासन का निर्णय प्रतीक्षित है । निर्णय लिया गया कि गत बैठक में लिये गये निर्णयानुसार माननीय मुख्य मंत्री जी को एक खत: साइट पत्र अध्यक्ष महोदय की ओर से भेजा जाये जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया जाये कि वह अपने स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक बुलाकर इस समस्या का निराकरण करायें ।

1	2	3	4

2- बैठक में बताया गया कि वर्ष- 77-78 की बैलेंसशीट से सम्बन्धित टिप्पणी इसी बैठक में रखी जा रही है और 78-79 की बैलेंसशीट का सम्परीक्षण किया जा रहा है । यह भी बताया गया कि बैलेंसशीट बनाने का कार्य प्रगति पर हैं और परिषद द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर दिसम्बर, 84 तक सन् 82-83 तक की बैलेंसशीट बनाने में कठिनाई हो रही है । निर्णय लिया गया कि बैलेंसशीट बनाने की कार्यवाही प्रणाली तीव्र की जाये और जिन वर्षों की बैलेंसशीट बननी रह गयी है उनके लिये निश्चित कार्यक्रम बनाकर उस का अनुश्रवण किया जाये तथा परिषद को समय समय पर प्रगति से अवगत कराया जाये । बैठक में बताया गया कि वर्ष-77-78 के धन विनियोजन सम्बन्धी अभिलेखों के अप्राप्त होने के कारण यह विलम्ब हुआ है। यह भी बताया गया कि अभिलेखों के काफी खोजबीन की गयी किन्तु कोई सफलता नहीं ~~मिले~~ मिली और अभिलेखों के खो जाने के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण संभव नहीं हो पाया है। विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि वित्त सचिव के प्रतिनिधि श्री प्रेम नारायण संयुक्त सचिव वित्त की अध्यक्षता में एक जाँच समिति गठित कर दी जाये जिसमें श्री सिन्हा, ज्येष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी तथा श्री ओंकार नाथ, उप आवास आयुक्त (सं०प्र०) सदस्य होंगे । उक्त जाँच समिति इस पूरे प्रकरण की विस्तृत छानबीन ~~करेंगे~~ करेगी और अभिलेखों के गायब हो जाने के बारे में उत्तरदायित्व निर्धारित करेगी उक्त समिति यह भी देखेगी कि अभिलेखों के उपलब्ध न होने के कारण परिषद द्वारा विनियोजित धनराशि के गबन आदि की आशंका तो नहीं है तथा भविष्य में धन विनियोजन की क्या प्रक्रिया अपनाई जाये और अभिलेखों के रखरखाव किस प्रकार हो इसके बारे में भी उक्त समिति एक अपना सुझाव प्रस्तुत करेगी ।

3- परिषद में क्वालिटी कन्ट्रोल तथा रिसर्च डेवलपमेंट के कार्य में लगे हुये अभियन्ताओं को विशेष वेतन देने के सम्बन्ध में तथा अभियन्त्रण अनुभाग से सम्बन्धित अन्य प्रकार के प्रस्तावों पर विचार करने हेतु गठित समिति की बैठक शीघ्र कराकर समिति की संस्तुति परिषद की अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत की जाये ।

4- परिषद में निर्माण कार्यों में प्रगति लाने की दृष्टि से सामग्रियों की आपूर्ति हेतु राजकीय निर्माण निगम की कार्य प्रणाली लागू किये जाने के बारे में गुणागुण एवं व्यवहारिकता के सम्बन्ध में आख्या परिषद की अगली बैठक में अवश्य रखी जाये ।

........3

1	2	3	4
3-	बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विचार।	संलग्न/(3)/84	बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के संबंध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विस्तार से विचार विमर्श और निम्नलिखित निर्णय लिये गये:- 1- बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष-84-85 में 4075.56 एकड़ भूमि अर्जित करने का लक्ष्य था जिसके विरुद्ध अक्टूबर तक लगभग 750 एकड़ भूमि अर्जित की गयी है। यह भी बताया गया कि एवार्ड न बनने तथा प्रतिकर न वितरित होने के कारण काश्तकार वास्तविक रूप से कार्य करने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं अतः भूमि का कब्जा उन्हीं स्थानों पर लिया जा रहा है जहां साथ-साथ अग्रिम प्रतिकर की धनराशि भी अवधारित होकर वितरित कर दी जाती है और इसी कारण लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं हो पायी है। निर्णय लिया गया कि कब्जा प्राप्त करने के साथ-साथ एवार्ड घोषित कराने एवं प्रतिकर वितरित कराने का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारियों द्वारा सम्पन्न कराया जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि भूमि को अर्जन से मुक्त करने से सम्बन्धित जो भी शासन के आदेश हों उन्हें परिषद में सूचनार्थ अवश्य रखा जाये। 2- भूमि विकास:- बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष-1984-85 में परिषद द्वारा 768 एकड़ भूमि विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके विरुद्ध अक्टूबर-84 तक 47 एकड़ भूमि पर विकास कार्य प्रगति पर है। निर्णय लिया गया कि भविष्य में विकास कार्य के विभिन्न स्तरों की अलग अलग सूचना रखी जाये ताकि यह देखा जा सके कि विकास कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हो रहा है या नहीं। यह भी निर्णय लिया गया कि विकास कार्यों को भवनों के निर्माण के पूर्व ही पूर्ण करने पर विशेष बल दिया जाये ताकि भवनों के पूर्ण होते ही उन्हें आवंटित करना संभव हो सके। 3- निर्माण कार्य:- बैठक में बताया गया कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 83-84 के अन्त में जो 2253 भवन प्रगति पर थे उनमें से अक्टूबर, 84 तक 856 भवन पूर्ण हो चुके हैं तथा अवशेष 1397 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह भी बताया गया कि सीमेंट की कमी के कारण इन अवशेष भवनों के निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। यह भी बताया गया कि अभी तक 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 9289 भवनों पर कार्य पूर्ण/प्रगति पर है। भवनों के निर्माण की प्रगति पर असन्तोष व्यक्त करते हुये निर्णय लिया गया कि किसी भी दशा में

......4

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति अवश्य की जाये ।

यह भी निर्णय लिया गया कि आवश्यकतानुसार थ्रस तथा ले आउट में परिवर्तन कर निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार भवनों का निर्माण प्रारम्भ कर दिया जाये ताकि गत वर्ष की भाँति वर्ष के अन्त में लक्ष्य को कम करने की आवश्यकता न पड़े ।

4- बैठक में बताया गया कि भवनों की पूर्ति में मुख्य अवरोध सीमेंट की अनुपलब्धता थी । निर्णय लिया गया कि वर्ष की शेष अवधि सीमेंट की क्या आवश्यकता होगी इसका आकलन तुरन्त करके शासन के सादर एवं आपूर्ति विभाग को अवगत कराया जाये और उनसे व्यक्तिगत संपर्क करके सीमेंट की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये और यदि आवश्यक हो तो खुले बाजार से भी सीमेंट क्रय करके कार्य सम्पन्न कराया जाये ।

यह भी निर्णय लिया गया कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 12000 भवनों को सम्मिलित करते हुये 20000 भवनों के निर्माण का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसकी प्राप्ति प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाये तथा लक्ष्यों की प्राप्ति में हो रही कठिनाइयों का निराकरण करते हुये लक्ष्यों की प्राप्ति का हर संभव प्रयास होना चाहिये ।

4- नीलामी द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सम्पत्ति के प्रदेशन संबंधी विनियम-1986 के भाग-2(4)(2)में संशोधन — षष्ठम/(4)/84 — परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।

5- बी0बी0एस0आर0टी0 के अतिरिक्त पद सृजन के संबंध में । — षष्ठम/(5)/84 — परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।

6- दमदमा कोठी योजना, मुरादाबाद में स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित श्रेणी "अ" के 30 श्रेणी "ब" के 74 तथा श्रेणी "स" के 56 (नये-डिजाईन के)भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में । — षष्ठम/(6)/84 — परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की ।

7- योजना सं0-2, कानपुर में विभिन्न श्रेणी के भवनों के निर्माण का प्रस्ताव । — षष्ठम/(7)/84 — परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की ।

8- कानपुर योजना सं0-2 कानपुर के अन्तर्गत विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में — षष्ठम/(8)/84 — परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।

9- निम्न योजनाओं में निर्मित किये जाने वाले आवासीय /व्यवसायिक भवनों के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव :- — षष्ठम/(9)/84 — परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।

.....5

1	2	3	4
	1- योजना सं0-1, फिरोजाबाद में अ0आ0व0 के 260 व म0आ0व0 के 172 भवनों का निर्माण ।		
	2- मेरठ योजना सं0-1 में म0आ0व0 के दो मंजिले 3 कमरों के 300 फ्लैट का निर्माण ।		
	3- कुर्सी रोड योजना, लखनऊ के विभिन्न हडको परियोजनाओं में प्राविधानित छोटे भूखण्डों पर दुर्बल आय वर्ग के 616 एवं अ0आ0व0 के 192 भवनों का निर्माण ।		
	4- गोंडा गिर्द योजना गोण्डा में साइट एवं सर्विसेज के 188 भूखण्डों पर दुर्बल आय वर्ग के भवनों का निर्माण ।		
	5- सिकन्दरा योजना, आगरा के सेक्टर-16 में अ0आ0व0 के 165 व म0आ0व0 के 95 भवनों का निर्माण ।		
	6- किच्छा भूमि विकास योजना किच्छा में दुर्बल आय वर्ग के 100, अ0आ0व0 के 75 व म0आ0व0 के 50 भवन ।		
	7- लाजपत नगर योजना मुरादाबाद में दुकानों के ऊपर निर्मित किये जाने वाले म0आ0व0 के तीन कमरों के 64 फ्लैट का निर्माण ।		
	8- लाजपत नगर योजना मुरादाबाद में 110 दुकानें 46 स्कूटर गैराज तथा 16 बेसमेन्ट्स (व्यवसायिक भवन)		
	9- रुड़की योजना सं0-1 में 20 दुकानें व आफिस हाल (व्यवसायिक भवन)		
10-	सीतापुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1, सीतापुर-लालगंज भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना-लालगंज छिबरामऊ भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना-छिबरामऊ बढपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना-फतेहगढ़ एवं इटावा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 इटावा में कब्जा प्राप्त भूमि के विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	षष्ठम/(10)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
11-	गाजियाबाद योजना सं0-3, गाजियाबाद में भवन निर्माण का प्रस्ताव ।	षष्ठम/(11)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । यह भी निर्णय लिया गया कि गाजियाबाद में ग्राम समाज की कब्जा प्राप्त शेष भूमि में दुर्बल आय वर्ग भवन के निर्माण का प्रस्ताव बनाया जाये तथा परिषद की आगामी बैठक में स्वीकृति हेतु रखा जाये ।

1	2	3	4
12-	नई आवासीय योजनाओं के संचालन हेतु आवास आयुक्त धारा-28 के अन्तर्गत स्वीकृत प्रस्तावों को परिषद के विचारार्थ/सूचनार्थ सूची ।	षष्ठम/(12)/84	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की ।
13-	परिषद मुख्यालय पर तैनात दो उप आवास आयुक्त (सं0प्र0) हेतु वाहन की स्वीकृति ।	षष्ठम/(13)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उप-रान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परिषद के मुख्यालय के पूल में एक कार प्रस्ताव के अनुसार और क्रय कर ली जाये जिसका उपयोग मुख्यालय पर तैनात दो उप आवास आयुक्त (सं0प्र0) भी कर सकेंगे ।
14-	द्वितीय चरण के अधीन गाजियाबाद में अतिरिक्त निर्माण खण्ड के सृजन करने के सम्बन्ध में ।	षष्ठम/(14)/84	अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित । यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रस्ताव रखने के पहले पूर्व स्वीकृत खण्डों के लिये सृजित पदों का पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित किया जाये और भविष्य में तभी नये निर्माण खण्ड के सृजन में प्रस्ताव रखे जायें जबकि पूर्व स्वीकृति खण्डों के लिये स्वीकृत पदों का पूर्ण उपयोग हो रहा हो।
15-	श्री आर0सी0सक्सेना, निलम्बित अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध विचाराधीन विभागीय जाँच के प्रसंग में ।	षष्ठम/(15)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उच्च न्यायालय के निर्णय तक विभागीय जाँच में की गयी इस संस्तुति पर विचार स्थगित रखा जाये । यह भी निर्णय लिया गया कि श्री आर0सी0सक्सेना निलम्बित अधीक्षण अभियन्ता ने जो याचिका उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की है उसे शीघ्र निस्तारित कराने के लिये हर संभव प्रयास किये जाये और अगली बैठक में इस मामले की प्रगति से परिषद को अवगत कराया जाये
16-	वर्ष-1981 में विभागीय निर्माण इकाई अष्ठम, लखनऊ के कार्यक्षेत्र से दिनांक 7-6-81 की रात्रि में ट्रील की हकैती के फलस्वरूप परिषद को हुई आर्थिक क्षति रू0 17975-08 पैसे का बट्टे खाते में डालने के सम्बन्ध में ।	षष्ठम/(16)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
17-	विश्वनाथ रोड योजना अल्मोड़ा नैनीताल में रिटेनिंग वाल के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव ।	षष्ठम/(17)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
18-	महोली योजना सं0-1 मथुरा में विकास कार्यों को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव ।	षष्ठम/(18)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
19-	परिषद द्वारा अपने स्टाफ की किराये पद्धति पर आवंटित भवनों एवं परिषद के अनावासीय भवनों के वार्षिक रखरखाव एवं विशेष मरम्मत के सम्बन्ध में	षष्ठम/(19)/84	अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित । यह भी निर्णय लिया गया कि इस बीच इस संदर्भ में जो व्यय भार संभावित है उसके बारे में सूचना संग्रहीत कर प्रस्तुत की जाये ।
20-	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के वर्ष 1977-78 के वित्त पत्रक पर सम्परीक्षण आख्या ।	षष्ठम/(20)/84	अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित ।

.....7

1	2	3	4
21-	सहारनपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1, देहरादून ।	षष्ठम/(21)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
22-	गुणनियंत्रण कोष्ठ में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति हेतु परिषद के लिये व्याख्यात्मक टिप्पणी ।	षष्ठम/(22)/84	अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित ।
23-	सेन्ट्रल स्कूल मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, आज़मगढ़	षष्ठम/(23)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से नियोजन समिति की संस्तुति स्वीकार की गयी । यह भी निर्णय लिया गया कि विस्थापितों के सम्बन्ध में जो संस्तुति नियोजन समिति ने की है उस पर नीति सम्बन्धी निर्णय के लिये अलग से प्रस्ताव रखे जायें ।
24-	ममता गार्डन स्कूल को आवंटित भूखण्ड में स्थित गोदाम के सम्बन्ध में ।	षष्ठम/(24)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि क्षतिग्रस्त गोदाम ममता गार्डन स्कूल को न दिया जाये तथा उक्त क्षतिग्रस्त गोदाम को तुड़वाकर हो मलबा आदि का निस्तारण करते हुए भूमि का कब्जा सम्बन्धित शिक्षा संस्था को दिया जाये ।
25-	परिषद की इन्दिरा नगर आवास योजना, लखनऊ के सेक्टर-3, में निर्मित 80 म0आ0बा0 की प्राविधिक सम्परीक्षा रिपोर्ट के प्रसंग में	षष्ठम/(25)/84	अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित ।
26-	8.5% उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद ऋण पत्र 2001 (अष्ठम श्रृंखला) के अन्तर्गत जारी ऋण पत्र के अभिगोपन कमीशन के भुगतान के सम्बन्ध में ।	षष्ठम/(26)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
27-	श्री जालप सिंह को इन्दिरा नगर योजना लखनऊ के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग का भवन प्रदेशन हेतु ।	षष्ठम/(28)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
28-	हडको वित्त पोषित 5 आवासीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हडको से ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में ।	षष्ठम/(28)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
29-	श्री सुरेन्द्र कुमार दत्त 6/163 दाल वाला गोदाम सूरज भान फाटक बेलनगंज आगरा का पंजीकरण करने के संबंध में ।	षष्ठम/(29)/84	अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित ।
30-	दिसम्बर-1984 से स्वयं वित्त पोषित योजना की पांच श्रेणी के भवनों हेतु नगर पंजीकरण खोलने के संबंध में ।	षष्ठम/(30)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
31-	दु0आ0व0के भवनों के निर्माण हेतु बैंक आफ बड़ौदा लखनऊ से ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में ।	षष्ठम/(31)/84	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।

1	2	3	4
32-	स्थिति पत्रक वर्ष-79-80 का सम्परीक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में ।	षष्ठम/(32)/84	अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित ।
33-	जनवरी-1985 में नये नगरों में पंजीकरण खोलने के संबंध में ।	षष्ठम/(33)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उप--रान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । यह भी निर्णय लिया गया कि रायबरेली और गोरखपुर नगरों में भी पंजीकरण खोलने पर विचार किया जाये ।
34-	9.00% उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद ऋण पत्र 1999 (नवम श्रृंखला के शोधन हेतु निक्षेप निधि) (सिंकिंग फंड) प्रस्थापित करने के संबंध में ।	षष्ठम/(34)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उप--रान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
35-	9.00% उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद ऋण पत्र 1999 (नवम-श्रृंखला) के अन्तर्गत जारी ऋण पत्र के अभिगोपन कमीशन के भुगतान के सम्बन्ध में ।	षष्ठम/(35)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उप--रान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
36-	सीड कैपिटल की सामयिक भुगतान हेतु सिंकिंग फण्ड की स्थापना ।	षष्ठम/(36)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
37-	गृह निर्माण हेतु परिषद व्दारा ऋण स्वीकृति करने के सम्बन्ध में ।	षष्ठम/(37)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी । यह भी निर्णय लिया गया कि जो लोग नकद मूल्य पर परिषद से भवन ले रहे हैं उन्हें भी इस योजना के अन्तर्गत ऋण की सुविधा अनुमन्य की जाये ।
38-	प्रदेश स्थित परिषद की योज--नाओं में वर्ष-84-85 में वृक्षारोपण की प्रगति ।	षष्ठम/(38)/84	वृक्षारोपण की प्रगति की जानकारी परिषद को करायी गयी ।
39-	हडको वित्त पोषित प्रथम हडको कम्पो०प्रोजेक्ट बांदा (स्कीम नं०-3475) हडको ने परिषद व्दारा संचालित उपर्युक्त योजना को कार्यान्वित करने हेतु ।	षष्ठम/(39)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उप--रान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
40-	फिरोजाबाद गृहस्थान योजना सं०-2 में समाविष्ट डेवलपमेंट (प्र०)लि०, फिरोजाबाद की भूमि सं०-415, 428, 414, एवं 411 के कुछ भाग को अर्जन से मुक्त करने के संबंध में ।	षष्ठम/(40)/84	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उप--रान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव के अनुसार पूर्ण विवरण प्राप्त कर आवास आयुक्त शासन के निर्देशों के अनुपालन हेतु अपने स्तर से ही कार्यवाही कर लें ।

बैठक में बताया गया कि परिषद के एक वरिष्ठ सदस्य श्री जयन्ती प्रसाद दूबे जो परिषद के कार्य कलापों से प्रारम्भ से ही सम्बद्ध रहे हैं नवम्बर माह के अन्त में अवकाश ग्रहण कर रहे हैं परिषद ने उनकी सेवाओं की सराहना करते हुये उनके द्वारा किये गये योगदान के प्रति आभार प्रकट किया ।

निर्णय लिया गया कि परिषद की अगली बैठक दिनांक 10-1-85 को 10=30 बजे पूर्वान्ह में मुख्यालय पर होगी ।

बैठक अध्यक्ष महोदया को आभार प्रकट करते हुये समाप्त की गयी ।

पुष्टि की गयी

अध्यक्ष